FORM J।।

फर्द अहकाम

(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नीमकाथाना (राज.)

बाबूलाल बनाम ग्राम पंचायत नाथा की नांगल

किस्म मुकदमा अपील विरूद्व नामान्तरकरण मु0नं0 12 सन् 2025 जीसीएमएस नं. 2025/458

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20-05-2025	रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। अपीलान्टस अधिवक्ता श्री लीलाराम उपस्थित। प्रार्थना पत्र अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 41 ग्राम पंचायत नाथा की नांगल दर्ज रजिस्टर किया जावे। रेस्पोडेन्टस की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक **30.05.2025** को पेश हो। राजवीर सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	
30.05.2025	पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उप०। पत्रावली वास्ते पूर्व आदेशानुसार दिनांक 18/6/25 को पेश हो।	
18/06/2025	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। रेस्पोडेन्ट की तामील सम्यक रूप से होना पायी गयी हैं। बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित। अतः रेस्पोडेन्ट के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं। प्रकरण में बहस वकील अपीलान्ट एकपक्षीय सुनी गई। दौराने बहस अपीलान्ट अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को बार–बार दोहराते हुए प्रार्थना पत्र अपील विरूद्व आदेश दिनांक 01.06.1973 बाबत नामान्तरकरण संख्या 41 ग्राम पंचायत नाथा की नांगल तहसील नीमकाथाना स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया एवं बहस वकील अपीलान्ट पर सगौर मनन किया [illegible] चूंकि अपीलान्ट्स के [illegible] उसका भाई जीवा उर्फ जीवड़ा सैटलमेन्ट [illegible] पूर्व से काश्त करते थे व इसी [illegible] जमाबन्दी में खातेदारी दर्ज थी किन्तु लेखा का देहान्त होने पर जो नामान्तरकरण सं0 41 पटवार हल्का द्वारा भरा गया उसमें स्व0 लेखा	

के जायन्दा पुत्रो के स्थान पर किसी अन्य लीलाराम नाम के व्यक्ति को लेखा का पुत्र दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.07.11 13:17:22 IST
Reason: SelfAttested

करते हुए विवादित नामान्तरकरण सं0 41 विरासत के आधार पर भरकर ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकार किया गया जिस कारण विधि विरूद्व विवादित नामान्तरकरण स्वीकार किया गया हैं।

अतः नामान्तरकरण संख्या 41 ग्राम पंचायत नाथा की नांगल दिनांक 01.06.1973 को विवादित मानते हुए खारिज किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेश दिया जाता हैं कि उक्त विवादित नामान्तरकरण संख्या 41 ग्राम पंचायत नाथा की नांगल दिनांक 01.06.1973 को अन्तर्गत धारा 135 (2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज किया जाकर विवादित पक्षकारान को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण पर निर्णय विधिसम्मत पारित करें। तहसीलदार नीमकाथाना को निर्णय की पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 18.06.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.07.11 13:17:22 IST
Reason: SelfAttested